निरीक्षण टिप्पणी ग्राम नारायनपुर विकास खण्ड सुमेरपुर

निरीक्षणकर्ता अधिकारी	–	सन्ध्या तिवारी,आई0ए0एस0
पदनाम	–	जिलाधिकारी,हमीरपुर।
दिनांक	–	30 दिसम्बर,2015

दिनांक 30–12–2015 को मेरे द्वारा शीतलकालीन भ्रमण के अंतर्गत राजस्व ग्राम नरायनपुर विकास खण्ड सुमेरपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय श्री अवधेश बहादुर सिंह,मुख्य विकास अधिकारी,हमीरपुर, संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी, उपजिलाधिकारी,हमीरपुर, खण्ड विकास अधिकारी,सुमेरपुर, ग्राम स्तरीय कर्मचारी एवं ग्राम प्रधान तथा ग्रामवासी उपस्थित थे।

ग्राम में चौपाल लगाकर विकास कार्यक्रमों का सत्यापन किया गया तथा जनसमस्याओं को सुना गया।

सर्वप्रथम ग्रामवासियों से वरासत सम्बन्धी किसी अवशेष मामले के सम्बन्ध में जानकारी की गयी। ग्रामवासियों द्वारा वरासत सम्बन्धी कोई प्रकरण लम्बित न होना बताया गया। ग्राम के सभी लघु,सीमान्त वृहत किसानों को राहत राशि वितरित होना बताया गया। ग्रामवासियों द्वारा चकरोड पर कब्जे सम्बन्धी शिकायत की गयी। उपजिलाधिकारी हमीरपुर को निर्देशित किया गया कि चकरोड पर कब्जे के सम्बन्ध में तत्काल नियमानुसार कार्यवाही करें।

(कार्यवाही–उप जिलाधिकारी हमीरपुर)

ग्राम में मनरेगा के अंतर्गत कोई कार्य किया जाना नहीं पाया गया,जबकि ग्रामवासियों द्वारा कार्य किये जाने की इच्छा जतायी गयी। चौपाल के दौरान ही निर्णय लिया गया कि ग्राम में स्थित तालाब की खुदाई का कार्य मनरेगा के तहत कराया जाये। इच्छुक ग्रामवासियों के जाबकार्ड बनाये जाने के निर्देश दिये गये। खण्ड विकास अधिकारी को तत्काल कार्य प्रारम्भ कराये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–खण्ड विकास अधिकारी सुमेरपुर)

विद्युत आपूर्ति के सम्बन्धी ग्रामवसियों द्वारा बताया गया कि वर्तमान में उन्हें 10–12 घंटे विद्युत मिल रही है। विद्युत आपूर्ति पर ग्रामवासियों ने संतोष व्यक्त किया। निर्देश दिये गये कि उपलब्धता के आधार पर निर्धारित रोस्टर के अनुसार ही विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही–अधिशाषी अभियन्ता विद्युत)

समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत इस ग्राम में 08 व्यक्तियों का चयन किया गया। सूची पढकर सुनाई गयी। श्रीमती जमुना देवी पत्नी अशोक कुमार,माया देवी पत्नी शैलेन्द्र कुमार, के सम्बन्ध में ग्रामवासियों द्वारा आपत्ति व्यक्त की गयी। बताया गया कि इनके पास भूमि उपलब्ध है और गांव में कई व्यक्ति ऐसे हैं जो भूमिहीन है। चौपाल के दौरान समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिये गये कि उक्त अपात्र व्यक्तियों का समाजवादी पेंशन से नाम हटाकर अन्य चौपाल के दौरान पाये गये पात्र व्यक्तियों का चयन किया जाये।

(कार्यवाही–समाज कल्याण अधिकारी)

उचित दर विक्रेता के सम्बन्ध में बताया गया कि वह कई महीनों से मेडिकल पर है और इस गांव का दुकान अन्य गांव में सम्बद्व है,जिसके कारण ग्रामवासियों को दूसरे गांव में राशन लेने जाना पडता है। उचित दर विक्रेता द्वारा बताया गया कि उसने दुकान बहाली हेतु आवेदन दिया है। उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया कि तत्काल दुकान को बहाल करें।

ग्रामवासियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी गयी।

(कार्यवाही–उप जिलाधिकारी हमीरपुर)

ग्रमवासियों द्वारा बताया कि ग्राम में एक राजकीय नलकूप है,वह चल रहा है।

(कार्यवाही–अधिशाषी अभियन्ता नलकूप)

बाल विकास योजना के कार्यो की समीक्षा की गयी। ग्राम में एक आंगनबाडी केन्द्र संचालित है,जिसमें 91 बच्चे पंजीकृत बताये गये। पोषाहार वितरण के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुयी। गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को पोषाहार के फायदों के सम्बन्ध में बताया गया। ग्रामवासियों से अपने बच्चों को नियमित रूप से आंगनबाडी केन्द्र भेजने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

(कार्यवाही–जिला कार्यक्रम अधिकारी)

स्वच्छ पेयजल हेतु ग्रम में 18 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। प्राथमिक विद्यालय के बाहर स्थापित हैण्डपम्प खराब बताया गया। अधिशाषी अभियन्ता जल निगम को उक्त हैण्डपम्प को रिबोर कराये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–अधिशाषी अभियन्ता जल निगम)

ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय में मध्यान्ह भोजन नियमित रूप से बनना बताया गया। बच्चों द्वारा मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त किया। ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि विद्यालय की बाउन्ड्री टूटी होने के कारण विद्यालय परिसर में ग्रामवासी विद्यालय के अन्दर स्थापित हैण्डपम्प से पानी भरते हैं एवं परिसर में जानवर भी आ जाते हैं। निर्देश दिये गये कि जहां–जहां बाउन्ड्री टूटी है वहां पर तार लगवा दिया जाये।

(कार्यवाही–बेसिक शिक्षा अधिकारी)

ग्राम में केवल 04 व्यक्तियों को वृद्वावस्था पेंशन मिल रही है। ग्राम में और व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि वे वृद्वावस्था पेंशन हेतु पात्र हैं। समाज कल्याण अधिकारी को ग्राम में और पात्र व्यक्तियों का चयन करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–समाज कल्याण अधिकारी)

12 महिलाओं को विधवा पेंशन मिल रही है। कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुयी। चौपाल के दौरान मौके पर उपस्थित श्यामकली पत्नी कन्धीलाल के सम्बन्ध में ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि वह विकलांग है,लेकिन उसका विकलांग प्रमाण पत्र नहीं बना है और उसे विकलांग पेंशन भी प्राप्त नहीं हो रही है। जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया गया कि इनका विकलांग प्रमाण पत्र बनवाये जाने सम्बन्धी कार्यवाही कर इन्हें विकलांग विकलांग पेंशन दिलवाया जाये।

(कार्यवाही–विकलांग कल्याण अधिकारी)

ग्राम में स्वच्छ शौचालय 10 स्वीकृत किये गये हैं। चौपाल के दौरान सत्यापन में कई शौचालय अपूर्ण पाये गये। निर्देश दिये गये कि सभी शौचालय को तत्काल पूर्ण कराया जाये तथा इन्हें उपयोग करने हेतु भी प्रोत्साहित किया गया।

(कार्यवाही–जिला पंचायत राज अधिकारी)

अन्य बिन्दुः–ग्रामवासियों ने ग्रम में अन्ना प्रथा रोकने की मांग की। ग्रामवासियों को बताया गया कि ग्राम में चारागार की भूमि उपलब्ध है। उक्त चारागाह की भूमि के चारो तरफ मनरेगा से खुदाई कर इसमें बाड़ बनाये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया।

ग्रामवासासियों द्वारा ग्राम से निकले राष्ट्रीय राजमार्ग पर ब्रेकर बनाये जाने का अनुरोध किया गया। ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि ग्राम रोड के दोनों तरफ होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती हैं। अधिशाषी अभियन्ता लोनिवि प्रा0खं0 से अपेक्षा है कि ग्रामवासियों की समस्या को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था बनवायें।

(सन्ध्या तिवारी)
जिलाधिकारी
हमीरपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी हमीरपुर।

संख्या– 506 /पी0ए0 दिनांक–~~दिसम्बर~~ जन 01, 2016

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–आयुक्त,चित्रकूटधाम मण्डल बांदा को सूचनार्थ प्रेषित।
2–मुख्य विकास अधिकारी हमीरपुर।
3–अपर जिलाधिकारी,वि0/रा0 हमीरपुर।
4–उप जिलाधिकारी हमीरपुर।
5–सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारीगण।
6–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी हमीरपुर।
7–खण्ड विकास अधिकारी सुमेरपुर।

(सन्ध्या तिवारी)
जिलाधिकारी
हमीरपर